न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहुजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 052/2018

1. भूप महेन्द्र उर्फ भूपेन्द्र पुत्र श्री धन्नाराम जाति मेघवाल उम्र 54 वर्ष निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

— — वादी

–:: बनाम ::–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज0)

— — प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, आर.टी.ए. घोषणा एवम् 136 एल.आर. बाबत दुरूस्ती

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री ऋषीपाल जोशी अधिवक्ता	वादी
2. पैरोकार राज	प्रतिवादी संख्या 1

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 25.05.2018

वादी ने प्रतिवादी के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, आर.टी.ए. एवम् 136 एल.आर. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि चक 7 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 के संयुक्त खाता संख्या 45 के मुरब्बा नम्बर 18, 57 की कुल 4.080 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 1/4 हिस्सा यानि 1.020 हैक्टर कृषि भूमि वादी के नाम (भूपेन्द्र पुत्र धन्नाराम) से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज हैं एवं इसी चक 7 क्यू के खाता संख्या 47/9 के मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 6/0.253, 15/0.253, 16/0.253, 25/0.227 कुल 0.986 हैक्टर नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक वादी के नाम (भूप महेन्द्र पुत्र धन्नाराम) से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है। जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न वाद पत्र है ।

चूंकि उक्त वाद पत्र की मद संख्या 2 में वादी के नाम दर्ज खाता संख्या 45 की 1.020 हैक्टर कृषि भूमि वादी के पिता श्री धन्नाराम पुत्र दानाराम के स्वर्गवास होने के बाद विरासतन इन्तकाल संख्या 260 दिनांक 21.08.2007 द्वारा वादी एवं वादी के भाईयो व बहन (भानीराम, जगदीश, भूपेन्द्र पिसरान धन्नाराम, विमला पुत्री धन्नाराम) के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज हुई। उक्त विरासतन इन्तकाल के समय कृषि भूमि के रिकार्ड में वादी का घरेलू नाम "भूपेन्द्र पुत्र धन्नाराम" अंकित कर दिया, जबकि वादी के शैक्षणिक दस्तावेज, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता आदि में "भूप महेन्द्र" तथा वादी की धर्मपत्नी श्रीमती शीला के आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजो में तथा वादी के पुत्र "उपेन्द्र "एवं "जैनेन्द्र" के आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजात में भी वादी का नाम "भूपमहेन्द्र" अंकित है ।

वादी का कृषि भूमि के रिकार्ड में घरू नाम दर्ज होने के कारण, वादी के नाम से जारी वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता आदि से मिलान नहीं होता है जिसके कारण वादी को कृषि ऋण सुविधा, सहकारी ऋण सुविधा लेने में भारी अड़चने पैदा होती है इसके अलावा काश्तकारो को समय समय पर मिलने वाली खाद, बीज मुआवजा आदि की सुविधाओ से भी वादी वंचित हो रहा है जबकि कृषि भूमि के रिकार्ड में अंकित "भूपेन्द्र पुत्र धन्नाराम" एवं वादी के वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता आदि में दर्ज

"भूप महेन्द्र पुत्र धन्नाराम" वादी का ही नाम है तथा एक ही व्यक्ति है। वादी के वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता की फोटो प्रतियां तथा वादी के पुत्र "उपेंद्र" एवं "जैनेन्द्र" तथा वादी की धर्मपत्नी "श्रीमती शीला" के आधार कार्ड की प्रतियां संलग्न है।

वादी ने दिनांक 09.02.2018 को प्रतिवादी के समक्ष अपनी समस्त वस्तुस्थिती से अवगत करवाते हुए राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतू निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी ने श्रीमान जी न्यायालय में दावा प्रस्तुत कर नाम दुरूस्त करवाने हेतू हिदायत दी, बस यही वाद कारण है इसलिए वादी को उक्त दावा हाजा प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है । वादी नेकनीयत है वादी क्लीन हैण्ड से उक्त दावा पेश कर रहा है।

प्रतिवादी लैण्ड होल्डर है एवं राजस्व रिकार्ड का संधारण करता है इसलिए पक्षकार बनाया गया है ।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे :–

(क) चक 7 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 के संयुक्त खाता संख्या 45 के मुरब्बा नम्बर 18, 57 की कुल 4.080 हैक्टर नहरी/बारानी कृषि भूमि में वादी के नाम (भूपेन्द्र पुत्र धन्नाराम) से दर्ज 1.020 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक के अंकन को दुरस्त किया जाकर "भूप महेन्द्र पुत्र धन्नाराम" अंकित करने के आदेश दिये जावे"।

(ख) अन्य कोई अनुतोष जो वादी के हित में हो प्रदान किये जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी की और से तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा जबाब पेश किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि राज्य हितो को मध्यनजर रखते हुए निर्णय पारित किया जावेतो कोई एतराज नहीं है।

चुँकि प्रकरण में कोई प्रतिवाद नहीं होनें के कारण तनकियात नहीं बनाई गई, वादी के सुयोग्य अधिवक्ता की बहस को सुना गया, वादी के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद पत्र के समर्थन में वादी की पत्नी का शपथ पत्र तथा वाद पत्र के साथ ही साक्ष्य स्वरूप वादी का शपथ पत्र तथा संरपंच ग्राम पंचायत दौलतावाली द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति पेश कर वादी को अनुतोष प्रदान किया जानें हेतु निवेदन किया गया।

बहस पर मनन किया पैरोकार राज को सूना गया तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वाद वादी पोषणीय पाये जानें पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

–:: आदेश ::–

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के सपठित राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत चक 7 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 के संयुक्त खाता संख्या 45 के मुरब्बा नम्बर 18, 57 की कुल 4.080 हैक्टर नहरी/बारानी कृषि भूमि में वादी के नाम (भूपेन्द्र पुत्र धन्नाराम) से दर्ज 1.020 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक के अंकन को दुरस्त किया जाकर "भूप महेन्द्र पुत्र धन्नाराम" अंकित करने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) तथा हिस्सा कस्सी पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 25.05.2018 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के अन्तर्गत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत जोधेवाला के मजमे आम में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर